दिनांक 24.05.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर श्री देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में महापौर परिषद् की बैठक आज सम्पन्न हुई। बैठक में छः बिन्दुओं पर प्रकरण विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु परिषद् में रखा गया था। महापौर परिषद के उपस्थित सदस्यों द्वारा सभी बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव 01– वार्ड क्र.–02 स्मृति नगर के अन्तर्गत सीमेन्टीकरण एंव नाली निर्माण कार्य के संबंध में सामान्य सभा में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव 02– वार्ड क्र.–28 छावनी चौक से हथखोज पुलिया तक मार्ग उन्नयन कार्य के संबंध में अधोसंरचना मद से वित्तिय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन से राशि की मांग की गई।

प्रस्ताव 03 –राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 18 पात्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 14 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 08 पात्र एवं सुखद सहारा पेंशन योजनान्तर्गत 09 कुल 49 हितग्रहियों को प्रतिमाह 350 रुपये के दर से कुल 17 हजार 150 सौ रुपये व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव 04– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति जोन 05 सेक्टर 06 के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 05 पात्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 01 पात्र कुल 06 हितग्रहियों को प्रतिमाह 350 रुपये के दर से कुल 2 हजार 1 सौ रुपये व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव 05 – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति जोन 04 शिवाजी नगर के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 14 पात्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 08 पात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन के अन्तर्गत 01 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 02 पात्र एवं सुखद सहारा पेंशन योजनान्तर्गत 04 कुल 29 हितग्रहियों को प्रतिमाह 350 रुपये एवं 500 रूपये के दर से कुल 10 हजार 300 सौ रुपये व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव 06 – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति जोन 02 वैशाली नगर के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 18 पात्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 14 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 08 पात्र एवं सुखद सहारा पेंशन योजनान्तर्गत 09 कुल 49 हितग्रहियों को प्रतिमाह 350 रुपये के दर से कुल 17 हजार 150 सौ रुपये व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई।

बैठक के दौरान महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, डॉ. दीवाकर भारती, केशव बंछोर, दुर्गा प्रसाद साहू, साकेत चन्द्राकर, सुर्यकान्त सिन्हा, श्रीमती सुशीला देवांगन, सुश्री सोशन लोगन, श्रीमती सुभद्रा सिंह, निगम आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में अधीक्षण अभियंता श्री सत्येन्द्र सिंह जोन–04 आयुक्त संजय शर्मा, जोन–01 संजय बागड़े, निगम सचिव जीवन वर्मा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

जनसम्पर्क अधिकारी

कार्यालय